...करण पुस्तिका

अयोध्या विकास प्राधिकरण

साकेतपुरी आवासीय योजना में रिक्त व्यवसायिक सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु

विवरण पुस्तिका

अयोध्या विकास प्राधिकरण
AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY

अयोध्या विकास प्राधिकरण

परिक्रमा मार्ग, सिविल लाइन्स, अयोध्या

पंजीकरण एवं आवंटन सम्बन्धी आवश्यक सूचनाएं

1. पंजीकरण–

1.1 **योजना का नामः–** साकेतपुरी आवासीय योजना में रिक्त पी0एच0सी0 व्यावसायिक भूखण्ड

1.2 **पंजीकरण हेतु पात्रताः–**

- आवेदक की आयु आवेदन तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, किन्तु अप्रवासी भारतीय भी आवेदन कर सकते है।

1.3 **पंजीकरण सम्बन्धी नियमः–**

- पंजीकरण हेतु आवेदन एकल या संयुक्त नामों (पति एवं पत्नी) से किया जा सकता है। परन्तु विक्रय विलेख का पंजीकरण शासनादेश के अनुसार ही किया जाये गा।
- पंजीकृत आवेदक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर विचार नहीं किया जायेगा।
- निर्धारित समयावधि में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों के भलीभाँति परीक्षणोपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को पंजीकृत करते हुए आवंटन उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा नीलामी निविदा सह प्रक्रिया से किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्रों को निविदा सह नीलामी प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जायेगा।
- किसी भी निविदा सह नीलामी एवं पंजीकरण पुस्तिका में त्रुटि को किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार उपाध्यक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण में निहित है।
- निविदा सह नीलामी/बोली को बिना कारण बताएं निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण में निहित होगा।
- किसी भी प्रकार की लिपिकीय एवं प्रिंटिंग त्रुटि संशोधनीय होगी।
- व्यवसायिक सम्पत्तियों का आवंटन **"जहां जैसे है"** के आधार पर किया जायेगा।

अयोध्या विकास प्राधिकरण

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

द्वारा विकसित साकेतपुरी आवासीय योजना में व्यवसायिक सम्पत्ति को प्राप्त करने का

सुनहरा अवसर

पंजीकरण अवधि दिनांक 24.09.2025 से 14.10.2025 तक

सम्पत्ति का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार	उपलब्ध संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	अनुमानित मूल्य (रू. में)	पंजीकरण/ धरोहर धनराशि	आरक्षण कोटे के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	साकेतपुरी आवासीय योजना, अयोध्या।	पी0एच0सी0 व्यवसायिक भूखण्ड	01	121.50	53,70,300.00	5,38,000.00	सभी वर्गो के लिए नीलामी द्वारा

- **उपरोक्त सम्पत्ति का आवंटन नीलामी पद्धति से किया जायेगा।**
- **आनलाईन आवेदन के लिए www.janhit.upda.in पर लागइन कर सकते है।**
  आवेदन आनलाईन एवं ऑफलाईन दोनों प्रकार से स्वीकार किये जायेगें।

नीलामी पद्धति से आवंटन प्रक्रिया–

- नीलामी प्रक्रिया में वही आवेदक भाग ले सकेगें जो प्रतिभूति की धनराशि का ड्राफ्ट/NEFT नीलामी से पूर्व जमा कराकर टोकन प्राप्त करेंगें।
- आवेदक को नीलामी में भाग लेने हेतु अपने पहचान पत्र की प्रमाणित प्रति साथ लानी अनिवार्य होगी।

2. **पात्रता एवं शर्ते–**

2.1 पंजीकरण पुस्तिका ₹ 1000.00 (जी.एस.टी. सहित) का नगद भुगतान कर दिनांक 24.09.2025 से 14.10.2025 तक पंजाब नेशनल बैंक अयोध्या विकास प्राधिकरण सिविल लाइन्स, अयोध्या खाता सं0–0166010100001325, IFSC कोड PUNB0612900 से प्राप्त की जा सकती है।

2.2 कार्नर चार्ज भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत अलग से देय होगा।

2.3 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड चार्ज नीलामी भूमि मूल्य का अलग से देय होगा।

2.4 पंजीकरण धनराशि जमा करते समय पंजीकरण चालान एवं आवेदन फार्म में योजना का नाम श्रेणी एवं मोबाइल नं0 अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा नीलामी पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. **पंजीकरण/धरोहर धनराशि–**

3.1 पंजीकरण धनराशि का भुगतान आवेदन पत्र के साथ, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर जो फैजाबाद में भुगतान योग्य हो, चेक द्वारा धनराशि स्वीकार नहीं की जायेगी। RTGS तथा ड्राफ्ट की धनराशि प्राधिकरण खाते में जमा धनराशि की ही जमा पंजीकरण माना जायेगा।

3.2 नीलामी तिथि से पूर्व आवेदक द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र देकर पंजीकरण/धरोहर धनराशि वापस ली जा सकती है। ऐसी स्थिति में भी पंजीकरण/धरोहर धनराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

3.3 व्यवसायिक सम्पत्ति आवंटन के पश्चात् न लेने की दशा में जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

4. **आवंटन प्रक्रिया–**

4.1 सम्पत्ति का आवंटन उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जनसामान्य के समक्ष नीलामी प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा।

4.2 सफल पंजीकृत आवेदकों की सूची सार्वजनिक रूप से विकास प्राधिकरण कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी।

4.3 कार्नर सम्पत्ति पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य केवल भूमि की लागत पर दये होगा।

4.4 सम्पत्ति का आवंटन फ्री होल्ड सम्पत्ति के रूप में किया जायेगा। फ्री होल्ड शुल्क नीलामी भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत अलग से देना होगा।

4.5 सम्पत्ति आवंटन के पश्चात् देय धनराशि समय से न जमा करने पर प्राधिकरण के अनुसार 18 प्रतिशत ब्याज देय होगा।

4.6 आवंटित सम्पत्ति का लीज प्लान प्राप्त होने पर किसी कारण से क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है तो वास्तविक क्षेत्रफल का मूल्य शासनादेशों के आधार पर किया जायेगा। जिसे कि आवंटी द्वारा जमा किया जाना होगा।

4.7 सम्पत्ति का आवंटन नीलामी द्वारा किया जायेगा। सफल आवेदक को अधिकतम बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत आवंटन पत्र निर्गत होने के एक माह के अन्दर जमा करना होगा। जिसमें धरोहर धनराशि सम्मिलित होगी।

4.8 शेष 75 प्रतिशत धनराशि 02 वर्ष की 08 त्रैमासिक किश्तों में नियमानुसार 15 प्रतिशत ब्याज सहित जमा करना होगा। परन्तु सम्पत्ति का कब्जा रजिस्ट्री के पश्चात् ही दिया जायेगा। यदि आवंटी 75 प्रतिशत शेष धनराशि एक मुश्त जमा करना चाहता है तो आवंटन पत्र निर्गत तिथि से 90 दिनों के अन्दर एक मुश्त भुगतान कर सकता है। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

4.9 व्यवसायिक सम्पत्ति में आवंटन पत्र निर्गत होने के पश्चात् निर्धारित तिथि तक वांछित धनराशि का भुगतान न किये जाने की दशा में आवंटन निरस्त करने पर विचार करते हुए जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

5. **असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि वापसी की प्रक्रिया-**

5.1 नीलामी में असफल आवेदको को उनके द्वारा जमा पंजीकरण/धरोहर धनराशि की वापसी आवंटन प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि के 01 माह के अन्दर सम्बन्धित के द्वारा आवेदन फार्म पर अंकित बैंक खाते में धनराशि बैंक के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। आवेदन फार्म में बैंक एवं खाता संख्या आदि त्रुटिपूर्ण होने पर प्राधिकरण किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

5.2 यदि प्राधिकरण द्वारा व्यवसायिक सम्पत्ति की नीलामी पंजीकरण तिथि से 01 वर्ष के अन्दर कर लिया जाता है तो जमा धरोहर/पंजीकरण धनराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि उक्त अवधि के पश्चात् आवंटन प्रक्रिया पूर्ण की जाती है तो पंजीकरण की अन्तिम तिथि से आवंटन तिथि तक की समयावधि पर धनराशि वापसी पर साधारण ब्याज देय होगा।

5.3 चालान फार्म/आवेदन फार्म पर निर्धारित स्थान पर अपना सम्पर्क दूरभाष नम्बर अवश्य अंकित करें।

6. **शपथ पत्र-**

6.1 प्रत्येक आवेदक को विवरण पुस्तिका के साथ संलग्न पृष्ठ संख्या 6 पर अंकित निर्धारित प्रारूप में ₹10.00 मूल्य के नान-जूडिशियल स्टाम्प पर जो नोटरी द्वारा सत्यापित हो आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

7. **आवंटित सम्पत्ति ऋणदायी संस्था के पक्ष में बन्धक रखने का प्राविधान-**

7.1 आवंटी को आवंटित व्यवसायिक भूखण्ड/सम्पत्ति को अयोध्या विकास प्राधिकरण की पूर्वानुमति प्राप्त करके ऋणदायी संस्था के पक्ष में बन्धक रखने का अधिकार होगा।

8. **रजिस्ट्री एवं फ्री होल्ड शुल्क-**

8.1 प्राधिकरण द्वारा आवंटित व्यवसायिक भूखण्ड की रजिस्ट्री फ्री होल्ड सम्पत्ति के रूप में शासन द्वारा निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर की जायेगी। आवंटी को समस्त मूल्य, अन्य देय शुल्क एवं फ्री होल्ड शुल्क जमा करने के पश्चात् स्वयं के खर्चे पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप पर विक्रय विलेख निष्पादित कराना होगा।

9. **आवंटित सम्पत्ति का कब्जा-**

9.1 रजिस्ट्री निष्पादन के उपरान्त आवंटी को व्यवसायिक भूखण्ड/सम्पत्ति का भौतिक कब्जा स्थल पर प्राप्त कराया जायेगा।

10. **करों की देयता-**

10.1 आवंटित व्यवसायिक भूखण्ड/सम्पत्ति के कब्जा लेने की तिथि से स्थानीय निकाय अथवा शासन द्वारा जारी नियम एवं उपनियम के अन्तर्गत समय-समय पर लगाये जाने वाले समस्त प्रकार के करों, उपकरों तथा जी.एस.टी. भुगतान आवंटी द्वारा किया जायेगा।

10.2 सम्पति के मूल्य के अतिरिक्त जी.एस.टी. एवं अन्य कर तथा उपकरों की देयता आवंटी की होगी।

अयोध्या विकास प्राधिकरण

11. आवेदक/आवंटी के मृत्यु की दशा में–

11.1 पंजीकृत आवेदक/आवंटी की मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारियों के पक्ष में जिलाधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र एवं अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा अनापत्ति–पत्र शपथ सहित प्रस्तुत करने एवं कोई आपत्ति आने पर उसके वैधानिक निस्तारण उपरान्त ही पंजीकृत/ आवंटन उसके नाम से परिवर्तित किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा पंजीकरण की समस्त शर्तो को पूरा किया जाना आवश्यक है।

12. अन्य महत्वपूर्ण सूचना–

12.1 यदि किसी आवेदक/आवंटी द्वारा दिया गया कोई विवरण मिथ्या अथवा कोई तथ्य छिपाया पाया जाता है तो 'उपाध्यक्ष' अयोध्या विकास प्राधिकरण को आवेदन /आवंटन/निबन्धन को आवंटी के हर्जे–खर्चे पर निरस्त करने तथा आवेदक/आवंटी द्वारा जमा समस्त धनराशि को जब्त करते हुए आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12.2 आवंटित व्यवसायिक सम्पत्ति का विक्रय एवं हस्तान्तरण से सम्बन्धित नियम व शर्ते प्राधिकरण एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश अनुमन्य होगा।

12.3 पंजीकरण/आवंटन आदि से सम्बन्धित उपरोक्त सूचनाये परिवर्तनीय है, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन उपाध्यक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के किया जा सकता है। उपाध्यक्ष द्वारा किसी भी मामले में लिया गया निर्णय अन्तिम एवं आवेदक/आवंटी को मान्य होगा।

12.4 पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित विवरण वर्तमान परिस्थितियों प्रचलित नियमों के अन्तर्गत अनुमान के आधार पर निर्धारित किये गये है। जिसमें भविष्य में लागू होने वाले नियमों/ वास्तविक स्थिति के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। जिसके विरूद्ध आवेदक/ आवंटी को कोई भी दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा।

12.5 किसी भी विवाद की स्थिति में अधिकार क्षेत्र अयोध्या ही मान्य होगा।

13. **मुख्य परिभाषायें–** निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये हैं, जहाँ–जहाँ के उपयुक्त किये है, उनके निम्नलिखित अर्थ होगें।

13.1 **आवेदक का परिवार–** इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी/पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित है।

13.2 **सम्पत्ति–** सम्पत्ति का तात्पर्य व्यवसायिक भूखण्ड से है।

योजना से सम्बन्धित जानकारी हेतु कार्यालय कार्य अवधि में निम्न से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति

अयोध्या विकास प्राधिकरण

परिक्रमा मार्ग, सिविल लाईन्स, अयोध्या, मोबाइल नम्बर: 7607778905

ईमेल– vcafda@gmail.com वेबसाइट– www.adaayodhya.in

पासपोर्ट साइज फोटो (आवेदक-1)	पासपोर्ट साइज फोटो (आवेदक-2)

अयोध्या विकास प्राधिकरण
AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY

अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

परिक्रमा मार्ग, सिविल लाइन्स, अयोध्या

फोन : 05278-223969, 223460

बेवसाइट : www.adaayodhya.in, फैक्स : 05278-220110

ई-मेल : vcafda@gmail.com, secy_afda@rediffmail.com

<u>शपथ-पत्र का प्रारूप</u>

(शपथ-पत्र रू0 10/- के जनरल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित हो)

हम/हम श्री/श्रीमती/ ....

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..आयु..................वर्ष निवासी ....

....शपथपूर्वक यह बयान करता/करती हूँ/करते हैं कि-

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ/हैं।

2. मेरे या मेरे परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसकी पति/पत्नी/अवयस्क बच्चे से है) के पास अयोध्या विकास प्राधिकरण विकास क्षेत्र में निवास की कोई भवन/भूखण्ड नहीं है।

3. यदि भूमि अर्जन के प्रतिकर के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसके निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूंगा/करूंगी/करेंगे।

4. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूंगा/करूंगी/करेंगे। यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

5. आवेदन पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये है वे सत्य है।

6. मेरे द्वारा पंजीकरण फार्म में बैंक खाता सम्बन्धी जो विवरण दिया गया है, जो कम से कम दो वर्ष तक मान्य रहेगा।

यदि ये घोषणाएं भविष्य में असत्य पायी जाये तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटित सम्पति निरस्त कर दें तथा समस्त जमा धनराशि जब्त कर लें। यदि सम्पत्ति की रजिस्ट्री हो गयी तो भी इस मिथ्या निरूपण के कारण जुर्माने/दण्ड स्वरूप रजिस्ट्रीकृत सम्पत्ति के मूल्य के बराबर धनराशि भू-राजस्व की भांति मुझसे वसूल कर ली जाये।

शपथी

अयोध्या विकास प्राधिकरण

आवेदक की प्रति

परिक्रमा मार्ग, सिविल लाइन्स, अयोध्या (उ.प्र.)

पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

संयुक्त आवंटन हेतु	
आवेदक की फोटो स्वप्रमाणित	आवेदक की फोटो स्वप्रमाणित

पंजीकरण फार्म संख्या :

1. योजना का नाम .... श्रेणी ....

2. भुगतान पद्धति ....

(क) बैंक ड्राफ्ट .... रसीद सं. ....धनराशि ....

के द्वारा पूर्ण भुगतान कर दिया गया है

3. व्यावसायिक सम्पत्ति की श्रेणी ....

4. आवेदक का नाम ....

5. पिता/पति का नाम ....

6. संयुक्त आवेदक का नाम ....

7. पिता/पति का नाम ....

8. पत्र व्यवहार का पता ....स्थायी पता ....

....

....

मो./टेलीफोन ....

पिन कोड ☐☐☐☐☐☐ पिन कोड ☐☐☐☐☐☐

9. आयु वर्ष ☐☐ लिंग ☐☐

10. आरक्षण श्रेणी हेतु प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें) ....

अन्यथा आरक्षण मान्य नहीं होगा।

11. जाति................................12. व्यवसाय .... 13. वार्षिक आय ....

14. एच.आई.जी./एम.आई.जी. के आवेदक अपना पैन नं. ....इंगित

करे एवं छायाप्रति संलग्न करें।

15. आवेदक/आवेदकों को अपना पहचान सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। (मददाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशनकार्ड अथवा संस्था द्वारा जारी पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड आदि)

16. पंजीकरण धनराशि (अंकों में) रूपये | | | | | | |

17. पंजीकरण धनराशि (शब्दों में) रूपये ....

18. बैंक शाखा का नाम जहाँ आवेदन पत्र जमा किया जा रहा है– ....

19. बैंक ड्राफ्ट का विवरण : ड्राफ्ट नम्बर/दिनांक ....

20. ड्राफ्ट जारीकर्ता बैंक का नाम तथा शाखा ....

21. नामित सदस्यों का विवरण

नाम	आयु	सम्बन्ध
1.	....	....
2.	....	....
3.	....	....
4.	....	....

22. आवेदक को सम्पत्ति आवंटन न होने की दशा में जमा पंजीकरण धनराशि की वापसी हेतु आवेदक का बैंक विवरण–

1. खाताधारक का नाम ....
2. खाता संख्या ....
3. बैंक का नाम (शाखा) ....जिला......................प्रदेश............
4. खाते का प्रकार ....सेविंग/चालू/अन्य ....
5. आवेदक अपना एक कैन्सिल्ड चेक की छाया प्रति लगाना अनिवार्य है।
6. आई.एफ.सी. कोड व बैंक खाता नं0 ....लिखें।

घोषणा

(क) मैं/हम एतद्द्वारा यहा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/हमने पंजीकरण सम्बन्धी सभी नियम एवं शर्तो को पूर्ण रूप से समझ लिया है जो मुझे/हमें मान्य है।

(ख) उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरी/हमारी जानकारी में सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि कोई तथ्य अथवा सूचना असत्य या अपूर्ण पायी जाती है तो प्राधिकरण को पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

1 ....

2 ....

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर

(कृपया पूर्ण हस्ताक्षर करें)

स्थान :

दिनांक :

अयोध्या विकास प्राधिकरण

जमा करने की प्रति

परिक्रमा मार्ग, सिविल लाइन्स, अयोध्या (उ.प्र.)

पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

संयुक्त आवंटन हेतु	
आवेदक की फोटो स्वप्रमाणित	आवेदक की फोटो स्वप्रमाणित

पंजीकरण फार्म संख्या :

1. योजना का नाम .... श्रेणी ....
2. भुगतान पद्धति ....

(क) बैंक ड्राफ्ट .... रसीद सं. ....धनराशि .... के द्वारा पूर्ण भुगतान कर दिया गया है

3. व्यावसायिक सम्पत्ति की श्रेणी ....
4. आवेदक का नाम ....
5. पिता/पति का नाम ....
6. संयुक्त आवेदक का नाम ....
7. पिता/पति का नाम ....
8. पत्र व्यवहार का पता ....स्थायी पता ....

....

....

मो./टेलीफोन ....

पिन कोड ☐☐☐☐☐☐ पिन कोड ☐☐☐☐☐☐

9. आयु वर्ष ☐☐ लिंग ☐☐
10. आरक्षण श्रेणी हेतु प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें) .... अन्यथा आरक्षण मान्य नहीं होगा।
11. जाति................................12. व्यवसाय .... 13.वार्षिक आय ....
14. एच.आई.जी./एम.आई.जी. के आवेदक अपना पैन नं. ....इंगित करे एवं छायाप्रति संलग्न करें।

15. आवेदक/आवेदकों को अपना पहचान सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। (मददाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशनकार्ड अथवा संस्था द्वारा जारी पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड आदि)

16. पंजीकरण धनराशि (अंकों में) रूपये ☐☐☐☐☐☐

17. पंजीकरण धनराशि (शब्दों में) रूपये ....

18. बैंक शाखा का नाम जहाँ आवेदन पत्र जमा किया जा रहा है– ....

19. बैंक ड्राफ्ट का विवरण : ड्राफ्ट नम्बर/दिनांक ....

20. ड्राफ्ट जारीकर्ता बैंक का नाम तथा शाखा ....

21. नामित सदस्यों का विवरण

नाम	आयु	सम्बन्ध
1.	....	....
2.	....	....
3.	....	....
4.	....	....

22. आवेदक को सम्पत्ति आवंटन न होने की दशा में जमा पंजीकरण धनराशि की वापसी हेतु आवेदक का बैंक विवरण–

1. खाताधारक का नाम ....
2. खाता संख्या ....
3. बैंक का नाम (शाखा) ....जिला....................प्रदेश............
4. खाते का प्रकार ....सेविंग/चालू/अन्य ....
5. आवेदक अपना एक कैन्सिल्ड चेक की छाया प्रति लगाना अनिवार्य है।
6. आई.एफ.सी. कोड व बैंक खाता नं0 ....लिखें।

घोषणा

(क) मैं/हम एतदद्वारा यहा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/हमने पंजीकरण सम्बन्धी सभी नियम एवं शर्तो को पूर्ण रूप से समझ लिया है जो मुझे/हमें मान्य है।

(ख) उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरी/हमारी जानकारी में सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि कोई तथ्य अथवा सूचना असत्य या अपूर्ण पायी जाती है तो प्राधिकरण को पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

1 ....

2 ....

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर

(कृपया पूर्ण हस्ताक्षर करें)

स्थान :

दिनांक :

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदक की प्रति

चालान नं. ....

दिनांक........................

बैंक का नाम..

....

कम्प्यूटर पंजीकरण सं. ....

1. आवेदक का नाम...

2. पता..

....

मोबाईल नं. ....

सम्पत्ति का विवरण

3. योजना का नाम.............................श्रेणी......................

मद का विवरण	मद सं.	किश्त की राशि एवं संख्या	सम्पूर्ण देय राशि रु.	पै.
पंजीकरण धनराशि				
		योग		

कुल योग (शब्दों में) ....

....

हस्ताक्षर जमाकर्ता   हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

मद सं. एवं मद का विवरण पृष्ठ भाग के अनुसार ही भरें। यदि किसी मामले में वाद न्यायालय में विचाराधीन है तथा धनराशि की वसूली नहीं की जानी है अन्यथा भवन/भूखण्ड का आवंटन निरस्त होने आदि के कारण धनराशि प्राधिकरण द्वारा जमा नहीं करायी जानी है तो मात्र इस चालान के माध्यम से धनराशि जमा करने से वाद पर कोई प्रतिकूल प्रभाव प्राधिकरण के हितों के विरूद्ध नहीं पड़ेगा।

केवल बैंक प्रयोगार्थ   तिथि..........................

धनराशि प्राप्त कर ली गयी है।

प्रबन्धक
बैंक की मोहर

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

बैंक की प्रति

चालान नं. ....

दिनांक........................

बैंक का नाम..

....

कम्प्यूटर पंजीकरण सं. ....

1. आवेदक का नाम...

2. पता..

....

मोबाईल नं. ....

सम्पत्ति का विवरण

3. योजना का नाम.............................श्रेणी......................

मद का विवरण	मद सं.	किश्त की राशि एवं संख्या	सम्पूर्ण देय राशि रु.	पै.
पंजीकरण धनराशि				
		योग		

कुल योग (शब्दों में) ....

....

हस्ताक्षर जमाकर्ता   हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

मद सं. एवं मद का विवरण पृष्ठ भाग के अनुसार ही भरें। यदि किसी मामले में वाद न्यायालय में विचाराधीन है तथा धनराशि की वसूली नहीं की जानी है अन्यथा भवन/भूखण्ड का आवंटन निरस्त होने आदि के कारण धनराशि प्राधिकरण द्वारा जमा नहीं करायी जानी है तो मात्र इस चालान के माध्यम से धनराशि जमा करने से वाद पर कोई प्रतिकूल प्रभाव प्राधिकरण के हितों के विरूद्ध नहीं पड़ेगा।

केवल बैंक प्रयोगार्थ   तिथि..........................

धनराशि प्राप्त कर ली गयी है।

प्रबन्धक
बैंक की मोहर

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

लेखा की प्रति

चालान नं. ....

दिनांक........................

बैंक का नाम..

....

कम्प्यूटर पंजीकरण सं. ....

1. आवेदक का नाम...

2. पता..

....

मोबाईल नं. ....

सम्पत्ति का विवरण

3. योजना का नाम...........................श्रेणी..................

मद का विवरण	मद सं.	किश्त की राशि एवं संख्या	सम्पूर्ण देय राशि रु.	पै.
पंजीकरण धनराशि				
		योग		

कुल योग (शब्दों में) ....

....

हस्ताक्षर जमाकर्ता हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

मद सं. एवं मद का विवरण पृष्ठ भाग के अनुसार ही भरें। यदि किसी मामले में वाद न्यायालय में विचाराधीन है तथा धनराशि की वसूली नहीं की जानी है अन्यथा भवन/भूखण्ड का आवंटन निरस्त होने आदि के कारण धनराशि प्राधिकरण द्वारा जमा नहीं करायी जानी है तो मात्र इस चालान के माध्यम से धनराशि जमा करने से वाद पर कोई प्रतिकूल प्रभाव प्राधिकरण के हितों के विरूद्ध नहीं पड़ेगा।

<u>केवल बैंक प्रयोगार्थ</u> तिथि..........................

धनराशि प्राप्त कर ली गयी है।

प्रबन्धक
बैंक की मोहर

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

संगणक की प्रति

चालान नं. ....

दिनांक........................

बैंक का नाम..

....

कम्प्यूटर पंजीकरण सं. ....

1. आवेदक का नाम...

2. पता..

....

मोबाईल नं. ....

सम्पत्ति का विवरण

3. योजना का नाम...........................श्रेणी..................

मद का विवरण	मद सं.	किश्त की राशि एवं संख्या	सम्पूर्ण देय राशि रु.	पै.
पंजीकरण धनराशि				
		योग		

कुल योग (शब्दों में) ....

....

हस्ताक्षर जमाकर्ता हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

मद सं. एवं मद का विवरण पृष्ठ भाग के अनुसार ही भरें। यदि किसी मामले में वाद न्यायालय में विचाराधीन है तथा धनराशि की वसूली नहीं की जानी है अन्यथा भवन/भूखण्ड का आवंटन निरस्त होने आदि के कारण धनराशि प्राधिकरण द्वारा जमा नहीं करायी जानी है तो मात्र इस चालान के माध्यम से धनराशि जमा करने से वाद पर कोई प्रतिकूल प्रभाव प्राधिकरण के हितों के विरूद्ध नहीं पड़ेगा।

<u>केवल बैंक प्रयोगार्थ</u> तिथि..........................

धनराशि प्राप्त कर ली गयी है।

प्रबन्धक
बैंक की मोहर

₹1000/-